कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, जिला जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.)

E-mail ID – janjgir.cg@gov.in Contact & Fax No. 07817-222228

//आदेश//

क्रमांक/1080/एडीएम/2020 जांजगीर दिनांक31.05.2020

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) को संक्रमण बीमारी घोषित किया है। कोरोना वायरस के संक्रमण से भारत समेत पूरे विश्व में खतरा उत्पन्न हो गया हैं। राज्य में भी बहुत तेजी से कोरोना वायरस संक्रमण के मामले के बढने के दृष्टिगत छत्तीसगढ शासन द्वारा स्वास्थ्य के दृष्टिगत (COVID-19) के पीडित/संदेही से संपर्क/दूर रहने एवं इससे बचने के सभी प्रकार के संभावित उपायों को अमल में लाने एवं कोविड-19 के संभाव्य प्रसार के नियंत्रण हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार का आदेश क्रमांक 40-3/2020-DM-I(A) दिनांक 17-05-2020 के परिपालन में कार्यालयीन आदेश क्र./4608/एडीएम/2020 जांजगीर, दिनांक 19-05-2020 के द्वारा जिले के समस्त नगरीय सीमा क्षेत्र, सीमा क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र के साथ-साथ संपूर्ण जिले में दिनांक 18-05-2020 से 31-05-2020 मध्य रात्रि तक या आगामी आदेश पर्यन्त तत्काल प्रभाव से लॉकडाउन घोषित किया गया था।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्र. 40-3/2020-DM-I(A) दिनांक 30 मई, 2020 एवं छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, रायपुर के पत्र क्र. 288/स.सा.प्र.वि./2020 रायपुर, दिनांक 31-05-2020 द्वारा जारी दिशा-निर्देश/एडवायजरी के अनुक्रम में दिनांक 01 जून 2020 से दिनांक 30 जून 2020 तक तत्काल प्रभाव से लॉकडाउन घोषित किया जाता है।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्र. 40-3/2020-DM-I(A) दिनांक 30 मई, 2020 एवं छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, रायपुर के पत्र क्र. 288/स.सा.प्र.वि./2020 रायपुर, दिनांक 31-05-2020 में दिये गये निर्देश/गाईड लाईन/एडवायजरी के अनुक्रम में जिला जांजगीर-चाम्पा में अनुमति प्राप्त समस्त प्रकार की गतिविधियों का संचालन प्रातः 7:00 बजे से सायं 7:00 बजे तक सप्ताह में दिन रविवार को एवं जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर घोषित कन्टेनमेंट/बफर जोन को छोडकर सोशल डिस्टेसिंग/फिजीकल डिस्टेसिंग का पालन करते हुए (मास्क पहनने के निर्देश) की जा सकेगी।

(1) परन्तु आगामी आदेश पर्यन्त निम्न गतिविधियां जिले में प्रतिबंधित रहेगी -

1- जिले में सार्वजनिक परिवहन यान यथा यात्री/सिटी बस की सेवाएं पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।

2- व्यक्तियों के अन्तर्राज्यीय परिवहन के बारे में प्रतिबंध पूर्व अनुसार जारी रहेगा तथा इस संबंध में ई-पास के माध्यम से अनुमति प्राप्त होने पर ही आवागमन हो सकेगा।

3- व्यक्तियों के अन्र्जजिला परिवहन के बारे में पूर्व निर्धारित प्रक्रिया अनुसार ई-पास के माध्यम से अनुमति प्राप्त होने पर आवागमन हो सकेगा।

4- सब्जी एवं फल का विक्रय सशर्त (समय पूर्ववत् प्रातः 7:00 बजे से सायं: 5:00 बजे तक प्रतिदिन) (दिन रविवार छोडकर) की ही अनुमति होगी। इसी प्रकार ठेले के माध्यम से फल एवं सब्जी घूम-घूमकर प्रातः 7:00 बजे से सायं: 5:00 बजे तक बेची जा सकती है किन्तु झुण्ड में नही रहेंगे दो ठेलों के बीच कम-कम से 20 फीट की दूरी होना आवश्यक है।

5- मिल्क पार्लर/दूध डेयरी का संचालन प्रतिदिन सशर्त - प्रातः 6:00 बजे से प्रातः 10:00 बजे तक एवं सायं 4:00 बजे से सायं 7:00 बजे तक रहेगी।

6- घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूज पेपर हॉकर को प्रातः 6:00 बजे से प्रातः 10:00 बजे तक की ही अनुमति होगी।

7- सभी होटल रेस्टोरेंट एवं हास्पिटिलिटी सेवाएं (मसाज पार्लर, ट्रेवल एजेंसी, टूर ऑपरेटर, क्लब, बार, रिसार्ट, लॉज, कैफे, डिस्कोथीक) बंद रहेगी। अपवाद - स्वास्थ्य/पुलिस/शासकीय सेवक/स्वास्थ्यकर्मी/श्रमिक/पर्यटक सहित फंसे हुए लोग एवं क्वारंटाईन सुविधा में उपयोग में लाये जाने वालों, बस डिपो/स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन में संचालित केंटीन रेस्टोरेंट/होटल को छोडकर। रेस्टोरेंट एवं होटल को होम डिलवरी हेतु अनुमति होगी।

8- व्यक्तियों का अंतर्राज्यीय परिवहन, छूट-चिकित्सकीय कारण से/गृह मंत्रालय से अनुमति प्राप्त गतिविधियां।

9- सभी विद्यालय, सभी महाविद्यालय, शैक्षणिक/ट्रेनिंग/कोचिंग संस्थान इत्यादि बंद रहेंगे परन्तु ऑनलाईन/डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति होगी।

10- समस्त स्पोर्ट्स काम्पलेक्स एवं स्टेडियम 07 जून 2020 तक बंद रहेंगे।

11- सार्वजनिक पार्क 07 जून 2020 तक बंद रहेंगे।

12- क्लब एवं बार का संचालन बंद रहेगा।

13- सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, खेल परिसर (स्पोर्टर्स काम्पलेक्स), स्टेडियम, स्वीमिंग पुल, मंनोरंजन उद्यान (सार्वजनिक पार्क) थियेटर तथा ऑडिटोरियम, सभागृह और इस प्रकार के स्थान, साप्ताहिक/हॉट बाजार, मेला के संचालन पर प्रतिबंध रहेगा।

14- सभी सामाजिक/राजनैतिक/खेलकूद/मंनोरंजन/शैक्षणिक/सांस्कृति /धार्मिक गतिविधियों एवं अन्य सामाजिक आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा।

15- सभी धार्मिक स्थान/पूजा के स्थान आम जन के लिये बंद रहेंगे। धार्मिक संभाएं कडाई से प्रतिबंधित रहेंगे।

16- यथासंभव माल वाहनों माल की लोडिंग/अनलोडिंग भीड-भाड वाली गलियों या स्थलों पर न किया जावें। यदि ऐसे स्थलों पर अनलोडिंग किया जाना हो तो इसे रात्रि में ऐसे समय में किया जाए जब वहां पर भीड-भाड न हो।

17- शहरी/नगरीय क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों का संचालन मुख्य महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, जांजगीर-चाम्पा से सत्यापन/अनुमति उपरांत भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देश का पालन करते हुए प्रारंभ की जा सकती है।

(2) ठेला/गुमटी संचालन की अनुमति निम्नांकित निर्देश/शर्ते के तहत होगी -

1- पान दुकान/ठेले में विक्रय (दिन रविवार को छोडकर) किये जाने वाले पदार्थ-सिगरेट, पान, बीडी, तम्बाकू, गुटखा, गुडाखू का उपभोग/उपयोग सार्वजनिक स्थान/पान ठेला पर किये जाने पर प्रतिबंध होगा। पान दुकान/ठेले से इन सामाग्रियों का मात्र विक्रय ही किया जावेगा।

2- ठेले/गुमटी, सप्ताह के सोमवार से शनिवार प्रातः 7:00 बजे से सायं 6:00 बजे तक खोले जायेंगे।

3- 02 ठेलों के बीच कम से कम 20 फीट की दूरी रहेगी।

4- शहर में घूमकर आवश्यक सामाग्री (यथा फल सब्जी) वाले ठेले सप्ताह में 07 दिन चल सकेंगे।

5- यदि किसी बाजार या सडक में स्थान कम हो और ठेले अधिक हो तो वहां मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा ऑड-ईवन या अन्य किसी आवश्यक व्यवस्था से 20 फीट की दूरी का पालन करायेंगे। इस हेतु अतिरिक्त स्थान का चयन मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा।

6- विक्रेता-क्रेता दोनों का ही मॉस्क/कपडा/गमछा चेहरे में लगाना आवश्यक होगा।

7- ठेला संचालक को ठेले में टेक अवे का बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा। स्थानीय निकाय द्वारा भी इस आशय का नोटिस सभी प्रमुख स्ट्रीट वेडिंग स्थानों में लगाया जावेगा।

8- सोशल डिस्टेसिंग/फिजिकल डिस्टेसिंग का पालन अनिवार्य होगा।

9- सेनिटाईजर/साबुन/पानी रखना अनिवार्य होगा।

10- ठेक अवे अनिवार्य होगा, ठेले में खडे होकर खाने की सुविधा नहीं दी जावेगी।

11- ठेले के पास गोल मार्किंग की जायेगी, दूरी बनाकर खडा होना होगा।

उक्त निर्देशों का पालन नही किये जाने की स्थिति में नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी। शहरी/नगरीय क्षेत्र में मुख्य नगरपालिका अधिकारी तथा संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी एवं ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव, समुचित कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे।

(3) सेलून/नाई दुकान एवं ब्यूटी पार्लर के संचालन हेतु शर्ते :-

1- ''सेलून/नाई दुकान'' एवं ''ब्यूटी पार्लर'' सप्ताह में एक दिन मंगलवार को छोडकर शेष दिनों में प्रातः 7:00 बजे से सायं 7:00 बजे तक सोशल डिस्टेसिंग/फिजीकल डिस्टेसिंग का पालन करते हुए 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति (मॉस्क पहनने के निर्देश) में संचालित किया जावें।

2- व्यक्ति/ग्राहकों का रजिस्टर संधारित करना अनिवार्य होगा, जिसमें आवश्यक जानकारी जैसे- नाम, पता, मोबाईल नंबर आदि का ब्यौरा अनविार्यतः रखा जावें।

3- कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण के दृष्टिगत -

(क) शारीरिक दूरी बनाये रखे।

(ख) भीड़ न बढाये।

(ग) ग्राहक पूर्व से नाम लिखवाये एवं एपाइंटमेंट लेवें।

उक्त निर्देश को दुकान के अग्र भाग पर चस्पा करना सुनिश्चित करें।

4- दुकान में भीड या प्रतीक्षारत व्यक्ति/ग्राहको को कम करने की दृष्टि से पुर्वानुमति प्राप्त कर उसी क्रमानुसार व्यक्तियों का सेविंग या कटिंग, डाई करना सुनिश्चित करें।

5- दुकान में सेनिटाईजर/हाथ धोने के लिये साबुन एवं पानी की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।

6- उपयोग किया गया ब्लेड और डिस्पोजल सामाग्रियों को प्रत्येक नये उपकरण आदि के साथ बदलना अनिवार्य होगा।

7- सेलून संचालक को प्रत्येक ग्राहक के कार्य पश्चात् कैंची, उस्तरा, सेविंग, ब्रश, कंघी एवं कुर्सी समस्त उपकरण को सेनिटाईज करना अनिवार्य होगा।

8- दुकान में वेटिंग करने हेतु अलग से कुर्सी नहीं रखा जावेगा। एक ही ग्राहक/व्यक्ति दुकान में प्रवेश करेंगे।

9- व्यक्ति/ग्राहक को स्वयं के द्वारा टॉवेल/कपडा लाना अनिवार्य होगा।

10- दुकान में भीड बढने अथवा किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना के लिये दुकान संचालक जिम्मेदार होंगे एवं नियमानुसार विधिक कार्यवाही के भागी होंगे।

(4) जिले/क्षेत्र के कन्टेनमेंट जोन घोषित होने पर शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशा/एडवायजरी अनुसार पालन मान्य होंगे तथा इन अतिरिक्त गतिविधियों को निष्पादित करने की अनुमति कन्टेनमेंट जोन में नही होगी।

(5) जिले में कंटेनमेंट जोन घोषित होने पर निम्नानुसार कार्यवाही की जावेगी -

1- अत्यावश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति तथा अपरिहार्य स्वास्थ्यगत आपातकालीन परिस्थितियों को छोडकर कंटेनमेंट जोन में जाने या आने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। कंटेनमेंट क्षेत्र के निवासी बिना सक्षम अनुमति अपनों घरों से बाहर किसी भी परिस्थिति में नही निकलेंगे। उक्त चिन्हांकित क्षेत्र में पूर्ण लॉकडाउन रहेगा।

2- उक्त चिन्हांकित क्षेत्र अन्तर्गत सभी दुकानें, ऑफिस एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अगले आदेश तक पूर्णत: बंद रहेंगे।

3- कंटेनमेंट जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यदि किसी भी प्रकार की आवश्यकता होती है उसके लिये पृथक से इस कार्यालय द्वारा आदेश प्रसारित किये जायेंगे।

4- प्रभारी अधिकारी द्वारा कंटेनमेंट जोन में पहुंच सेवा के माध्यम से होम डिलवरी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर की जावेगी।

5- जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संबंधित क्षेत्र में शासन के निर्देशानुसार स्वास्थ्य निगरानी, सेम्पल की जांच आदि आवश्यक व्यवस्थाएं की जावेगी।

(6) व्यक्तियों की सुरक्षा और उनकी सुरक्षा के उपाय -

1- **रात्रि कर्फ्यू** - गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्र. 40-3/2020-DM-I(A) दिनांक 17 मई, 2020 एवं छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, रायपुर के पत्र क्र. 253/स.सा.प्र.वि./2020 रायपुर, दिनांक 17-05-2020 के अनुक्रम में कार्यालयीन आदेश क्रमांक/4608/एडीएम/2020 जांजगीर, दिनांक 19-05-2020 के अनुशरण में अत्यावश्यक गतिविधियों को छोडकर व्यक्तिगत आवाजाही सम्पूर्ण जांजगीर-चाम्पा जिला में रात्रि 7:00 बजे से प्रात: 7:00 बजे तक पूर्णत: बंद रहेगी, जिसका कडाई से पालन किया जावें।

2- 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, अन्य रोगों से ग्रस्त व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे घर पर ही रहेंगे। वे केवल आवश्यक सेवाओं और स्वास्थ्य प्रयोजनों के लिये ही बाहर जा सकते है।

3- आम जन को सलाह दी जाती है कि वे अपने फोन में **अरोग्य सेतु एप्प** इंस्टाल करें और उसमें रोजाना अपना हेल्थ स्टेटस अपडेट करें।

4- दफ्तरों और कार्यालयों में (निजी एवं शासकीय) कर्मचारियों की बेहतर सुरक्षा हेतु नियोक्ताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे सभी कर्मचारियों के फोन में **अरोग्य सेतु एप्प** डाउनलोड करवायें।

(7) सार्वजनिक स्थलों हेतु कोरोना वायरस से बचाव एवं सुरक्षा के निर्देश/शर्ते -

1- सार्वजनिक एवं कार्यस्थल पर फेस मॉस्क पहनना अनिवार्य होगा।

2- दुकान में एक समय में पांच से ज्यादा व्यक्तियों को इकट्ठा न होने दिया जावें।

3- सोशल डिस्टेसिंग/फिजीकल डिस्टेसिंग का पालन अनिवार्यत: किया जाये।

4- दुकान को प्रतिदिन खोलने के पूर्व सेनेटाईज किया जाये।

5- दुकान के बाहर साबुन एवं स्वच्छ पानी अथवा सेनेटाईजर की व्यवस्था की जाये तथा प्रत्येक क्रेता हाथ धोने के उपरांत ही दुकान में प्रवेश करें।

6- दुकान परिसर एवं सार्वजनिक स्थल में थुकना पूर्णतया प्रतिबंधित होगा।

7- दुकान परिसर एवं सार्वजनिक क्षेत्र में मंदिरा, पान, गुटका, तम्बाकु इत्यादि का सेवन पूर्णतया प्रतिबंधित होगा।

8- दुकान परिसर में 01-01 मीटर की दूरी पर दुकान मालिक द्वारा व्यक्तियों के फिजिकल डिस्टेसिंग पालन कराने हेतु निशान लगाया जावें।

9- Work from home (WFH) को बढावा दिया जावें।

10- संपूर्ण कार्यस्थल, सामान्य सुविधाओं और मानव संपर्क में आने वाले सभी बिन्दुओं की बार-बार सफाई सुनिश्चित किया जावें।

11- विवाह संबंधी कार्यक्रम कें सोशल डिस्टेसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा तथा इसमें सम्मिलित व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 50 (पचास) होगी। इसकी अनुमति संबंधित तहसीलदार/अनुविभागीय दण्डाधिकारी से प्राप्त की जा सकेगी।

12- अंतिम संस्कार/अंन्त्येष्ठि जैसे आयोजनों में सोशल डिस्टेसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा तथा इसमें सम्मिलित व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 20 (बीस) होगी। इसकी अनुमति संबंधित तहसीलदार/अनुविभागीय दण्डाधिकारी से प्राप्त की जा सकेगी।

13- समस्त कारखाना/औद्योगिक संस्थान एवं व्यवसायिक परिसर में थर्मल स्केनिंग, मास्क, सेनेटाईजर, हाथ धोने के लिये साबुन एवं पानी की व्यवस्था सुनिश्चित हो, साथ ही साथ कार्यरत कर्मचारियों की पाली में ड्यूटी लगाया जाना आवश्यक होगा।

14- समस्त कारखाना/औद्योगिक संस्थान के संचालकर/प्रबंधक, अन्य राज्यों से आने वाले प्रवासी मजदूरों/श्रमिकों को आने की अनुमति जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र जांजगीर-चाम्पा से लेगा एवं जिले में आने के उपरांत - सूचना उद्योग विभाग, पुलिस विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग को देगा, साथ ही साथ प्रवासी मजदूरों/श्रमिकों को शासन के दिशा-निर्देश का पालन करते हुए क्वारंटाईन में रखे जाने की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

दाण्डिक प्रावधान -

उपरोक्त लॉकडाउन आदेशों एवं दिशा-निर्देशों के उल्लंघन करते हुए पाये जाने पर संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों जैसे लागू हों, के अन्तर्गत कार्यवाही के भागी होंगे। **जिले में कंटेनमेंट जोन घोषित होने की दशा में शासन द्वारा सम्पूर्ण लॉकडाउन के संबंध में जारी निर्देश पूर्वानुसार प्रभावी होंगे तथा इन अतिरिक्त गतिविधियों को निष्पादित करने की अनुमति कंटेनमेंट जोन में कदापि नहीं होगी।**

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

प्र. जिला मजिस्ट्रेट
जिला जांजगीर-चाम्पा (छ.ग)

जिला दण्डाधिकारी जिला : जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

5/6

पृ. क्रमांक/ 1081 /एडीएम/2020 जांजगीर दिनांक 31.05.2020

प्रतिलिपि :-

1- अतिरिक्त मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ।

2- सचिव, छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ।

3- सचिव, छ.ग. शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ।

4- आयुक्त बिलासपुर संभाग, बिलासपुर की ओर सादर सूचनार्थ।

5- पुलिस महानिरीक्षक, बिलासपुर संभाग की ओर सादर सूचनार्थ।

6- पुलिस अधीक्षक, जांजगीर-चाम्पा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

7- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जांजगीर-चाम्पा की ओर सूचनार्थ।

8- अनुविभागीय दण्डाधिकारी सर्व .... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

9- सर्व विभाग/कार्यालय प्रमुख .... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

10- तहसीलदार सर्व .... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

11- उप संचालक, जनसंपर्क जांजगीर-चाम्पा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

12- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत सर्व .... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

13- मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत सर्व .... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

जिला दण्डाधिकारी जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

प्र. जिला मजिस्ट्रेट
जिला जांजगीर-चाम्पा (छ.ग)